न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 51/18 (2018/00191) वादपत्र

1. उदयराम उर्फ उदयसिंह आत्मज भुरा दरोगा निवासी मासिंगपुरा, तहसील रायपुर
2. गोरधन आत्मज भुरा दरोगा निवासी मासिंगपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. छगन आत्मज भुरा दरोगा निवासी मासिंगपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. भैरू आत्मज जालु दरोगा निवासी मासिंगपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बंशी आत्मज पेमा दरोगा निवासी मासिंगपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सोहन आत्मज पेमा दरोगा निवासी मासिंगपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मांगु आत्मज पेमा दरोगा निवासी मासिंगपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. मोहन आत्मज नृसिंह दरोगा निवासी मासिंगपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. प्रताबी बेवा नृसिंह दरोगा निवासी मासिंगपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. नारायण आत्मज लच्छु दरोगा निवासी मासिंगपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. सायरी बेवा लच्छु दरोगा निवासी मासिंगपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 18.03.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 24.12.2019 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम झड़ोल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 की सयुंक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त आराजी संख्या 2 रकबा 0.02 है0 गैमुआचा, आराजी संख्या 3 रकबा 0.80 है0, आराजी संख्या 4 रकबा 0.75 है0, आराजी संख्या 5 रकबा 0.70 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 2.27 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 513 पर दर्ज हे। वादी संख्या 1 का 4/45 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 4/45 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 4/45 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/15 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 4/45 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का 4/45 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का 4/45 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 का 1/10 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 8 का 1/10 हिस्से का बाई मीट्स एण्ड बोड्स के आधार पर एवं आराजी नम्बर 2 रकबा 0.02 है0 गैमुआचा को सामलाती रखते हुए स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खोले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 17.03.2020 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता द्वारा सहमति व्यक्त की एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा आराजी संख्या 3, 4, 5 के दक्षिणी मेड़ पर कुएं पर जाने हेतु रास्ता छोड़ने हेतु निवेदन किया जो उक्त आराजी ग्राम झड़ोल की सीमा पर स्थित है। अधिवक्ता की आपत्ति पर भू अभिलेख निरीक्षक एव नायब तहसीलदार से रास्ता बाबत् स्थिति स्पष्ठ करने हेतु कहा गया जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा अवगत कराया कि इन्ही आराजियात के दक्षिणी ओर ग्राम डागड़ी की सीमा में पक्षकारो की भूमि स्थित है जिसकी उत्तरी मेड़ एवं आराजी संख्या 3, 4, 5 के दक्षिणी मेड़ के पास रास्ता दे रखा है जिसमें प्रतिवादी भी सहखातेदार है ऐसी स्थिति में रास्ता होते हुए अधिवक्ता द्वारा आपत्ति की गई है जो स्वीकार योग्य नही है। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद प्राथमिक डिक्री की पालना में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम झड़ोल तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे की प्रस्तावित आराजी संख्या 3 / 3 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 4 / 1 रकबा 0.42 कुल किता 2 कुल रकबा 0.61 है0, भूमि उदयराम गोरधन छगन पिता भूरा दरोगा सा. मांसिगपुरा खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 3 / 2 रकबा 0.16 है0, भैरू पिता जालु दरोगा सा0 मासिंगपुरा खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 3 / 1 रकबा 0.45 है0, आराजी संख्या 4 / 2 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 5 रकबा 0.70 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.48 है0 भूमि बंशी, सोहन, मांगु पिता पेमा 61 / 148 मोहन पिता नृसिंह प्रताबी बेवा नृसिंह 43 / 148 नारायण पिता लच्छु सायरी बेवा लच्छु 44 / 148 दरोगा सा0 देह खातेदार रखे जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18.3.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 51/18 (2018/00191) वादपत्र

1. उदयराम उर्फ उदयसिंह आत्मज भुरा दरोगा निवासी मासिंगपुरा, तहसील रायपुर
2. गोरधन आत्मज भुरा दरोगा निवासी मासिंगपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. छगन आत्मज भुरा दरोगा निवासी मासिंगपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. भैरू आत्मज जालु दरोगा निवासी मासिंगपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बंशी आत्मज पेमा दरोगा निवासी मासिंगपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सोहन आत्मज पेमा दरोगा निवासी मासिंगपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मांगु आत्मज पेमा दरोगा निवासी मासिंगपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. मोहन आत्मज नृसिंह दरोगा निवासी मासिंगपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. प्रताबी बेवा नृसिंह दरोगा निवासी मासिंगपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. नारायण आत्मज लच्छु दरोगा निवासी मासिंगपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. सायरी बेवा लच्छु दरोगा निवासी मासिंगपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम झड़ोल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे की प्रस्तावित आराजी संख्या 3/3 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 4/1 रकबा 0.42 कुल किता 2 कुल रकबा 0.61 है0, भूमि उदयराम गोरधन छगन पिता भूरा दरोगा सा. मांसिगपुरा खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 3/2 रकबा 0.16 है0, भैरू पिता जालु दरोगा सा0 मासिंगपुरा खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 3/1 रकबा 0.45 है0, आराजी संख्या 4/2 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 5 रकबा 0.70 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.48 है0 भूमि बंशी, सोहन, मांगु पिता पेमा 61/148 मोहन पिता नृसिंह प्रताबी बेवा नृसिंह 43/148 नारायण पिता लच्छु सायरी बेवा लच्छु 44/148 दरोगा सा0 देह खातेदार रखे जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 18.03.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

18·3·2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.03.30 15:51:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: